



2026:AHC-LKO:42293

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4859 वर्ष 2026

हरेंद्र

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पीयूष मिश्रा

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनको मुकदमा अपराध संख्या 0085/2026, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० और धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम, 1967, थाना-राजे सुल्तानपुर, जिला-अंबेडकर नगर में मुकदमे के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से

इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि कथित अपराध घटित होने के दस साल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि जन्मतिथि में कुछ विसंगतियां थीं और यह जानबूझकर या सोच-समझकर नहीं की गई थीं। उन्होंने बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक 15-05-2026 से जेल में है और वह वचन देता है कि जमानत मिलने पर वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आवेदक 15-05-2026 से जेल में बंद है और आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है; कथित अपराध घटित होने के दस वर्ष बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और साथ ही आवेदक ने यह वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अभियोग की प्रकृति और दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, अभियोग के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त मामला पाता हूं।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक हरेन्द्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (1) आवेदक विवेचना या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकती है;
 - (3) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, अभियोग निर्धारण और धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा; और
 - (4) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।
- जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

ए के एस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।